कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 539 / 12-1 :देहरादून:दिनांकः -2- सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया-मासी मोटर मार्ग से भटकोट–ढौन–रीठाचौरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/8382/2015)।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/70/2015/एफ0सी0/1574, दिनांक 12.10.2015।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 599/12–1(2) दिनांक 03.08.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.040 है0 ग्राम भटकोट सिविल सोयम भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.040 है0 ग्राम भटकोट के स्थान पर गरुलिम्बगौं की सिविल भूमि जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश के अनुसार स्मार/11–LAC/ 23-24 दिनांक 09.07.2024 द्वारा वन भूमि के पक्ष में हस्तातंरित की जा चुकी है। आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–01) क्षतिपूरण वृक्षारोपण के 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 4,20,420.00 मात्र UTR संख्या–SBIN R52016031027O5373 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 12,42,150.00 एवं नये दरों पर एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू0 6,58,339.00 मात्र UTR संख्या–SBIN/ R52308870465O दिनांक 29.03.2023 (संलग्नक–02) के द्वारा जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अधिक धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 12,42,150.00 एवं नये दरों पर एन0पी0वी0 की

	2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0– कॉम्पलैक्स, फेज–1, लौधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराये जायें एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाये।	अतिरिक्त धनराशि रू0 **6,58,339.00** मात्र UTR संख्या–SBIN/R523088704650 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा जमा कर दी गयी है। (प्रथम चालान में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 **12,42,150.00,** सी0ए0 की धनराशि **4,20,420.00** व रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारापेण की धनराशि **8,50,000.00** कुल धनराशि **25,12,570.00** जमा की गयी है।) छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–03)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारो तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में स्ट्रीप प्लानटेशन की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारो तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में स्ट्रीप प्लानटेशन की जायेगी। वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–04)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 539 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रति संलग्न

(85)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल: almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 599 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 07 – 08 – 2024

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून
पंजी0 सं0 630
पत्रावली 12-1
दिनांक 17-8-24

सेवा में,

प्रमुख वन सरंक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग से भटकोट–ढौन–रीठाचौरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/70/2015/एफ0सी0/1574, दिनांक 12.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार आख्या निम्नवत इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है:–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.940 है0 ग्राम भटकोट सिविल सोयम भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.940 है0 ग्राम भटकोट के स्थान पर मसड़ियाबॉज की सिविल भूमि जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश के अनुसार स्मार/11–LAC/ 23-24 दिनांक 09.07.2024 द्वारा वन भूमि के पक्ष में हस्तातंरित की जा चुकी है। आदेश की प्रति संलग्न है। क्षतिपूरण वृक्षारोपण के 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 420420.00 मात्र UTR संख्या–SBIN R52016031027O5373 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1242150.00 एवं वर्तमान दरों पर एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू0 658339.00 मात्र UTR संख्या–SBIN/ R523088704650 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा जमा कर दी गयी है। (प्रथम चालान में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1242150.00, सी0ए0 की धनराशि 4240420.00 व रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारापेण की धनराशि 1242150.00 कुल धनराशि 2512570.00 जमा की गयी है।) छायाप्रति संलग्न है।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अधिक धनराशि प्रयोक्ता	प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रभारी अल्मोड़ा
आ0 वा0 नोट।

प्र0 व0 सं0/नो0
12-8-24

	अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचतबद्धता प्रस्तुत की जाय।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0–कॉम्पलैक्स, फेज–1, लौधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराये जायें एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाये।	एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न की गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारो तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में स्ट्रीप प्लानटेशन की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित की जायेगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारो तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में स्ट्रीप प्लानटेशन की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

पत्रांक 599/12-1(3) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 1627/18सी० दिनांक, रानीखेत, 19/7/ 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा,
वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषयः- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया-मासी मोटर मार्ग से भटकोट से द्वौन-सीढाचौरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, पो०ओ० न्यू० फॉरिस्ट, देहरादून के पत्रांक सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/70/2015/एफ०सी०/1574, दिनांक 12.10. 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत हैः-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.940 है० ग्राम भटकोट सिविल स्वयं भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.940 है० ग्राम भटकोट के स्थान पर मसणियाबॉज की सिविल भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश के अनुसार रमार/ग्यारह-एल०ए०सी०/23-24, दिनांक 09. 07.2024 द्वारा वन भूमि के पक्ष में हस्तान्तरण की जा चुकी है, (आदेश की प्रति संलग्न है।)। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु रू० 2512570.00 मात्र UTR नम्बर SBIN R5201603102705373 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की गणना एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि रू. 1242150.00 एवं वर्तमान दरों पर रू० 658339.00 मात्र ल्न्त संख्या- SBIN/R523088704650 दिनांक 29.03. 2023 के द्वारा जमा कर दी गयी है। (छाया प्रति संलग्न है।)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अधिक धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचतबद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता सं०-0371001O1025229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ०- काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराये जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	एन०पी०वी० की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

क्रमशः पेज नं०-2 पर

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सड़क के दोनों के किनारों तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रीप प्लानटेंशन की जायेगी। इस आशय की बचत बद्धता प्रेषित की जायेगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सड़क के दोनों के किनारों तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रीप प्लानटेंशन की जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 851/18सी0 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 1669/18सी0 दिनांक 22.06.2019 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी थी, पुनः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे, जिससें उक्त मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

भवदीय,

(ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछंनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछंनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

संलग्नक-01

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्याः 1-M1 / ग्यारह–एल0ए0सी0 / 23–24, दिनांक 9 जुलाई,2024

तहसीलदार,
सल्ट खुमाड़।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भटकोट से ढौन–रीठाचौरा मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध सिविल सोयम भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पत्रांक संख्या 1548 / 1सी. दिनांक 06–07–2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत विषयांकित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में ग्राम मसणियाबांज पटवारी क्षेत्र झिमार, तहसील सल्ट के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या– 85 श्रेणी 10(4)''बजर नाकाबिल आबाद'' की कुल 2.940 है0 भूमि को वन विभाग के पक्ष आदेश संख्या 1942 / ग्यारह–22 / 2015–16, दिनांक 23 दिसम्बर,2015 से नामान्तरित की गयी है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। उक्त सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रकरण में आदेश संख्या 1942 / ग्यारह–22 / 2015–16, दिनांक 23 दिसम्बर,2015 के अनुपालन में नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करते हुए खतौनी नकल की प्रति तत्काल संबंधित विभाग को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि तदनुसार ही विभाग द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न–यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

ग्राम - मसोंबेयाबॉज, रा० उ० नि० क्षेत्र - सिमार, तहसील - सल्ट (अल्मोड़ा)
और ज० नि० खतौनी उद्धरण, श्रेणी - 10(5) बंजर नाकाबिल आबाद

	नाम खातेदार	फसली वर्ष	खसरा सं०	क्षेत्रफल	लगान	विवरण / आदेश
			३	२५।-		
५	बंजर नाकाबिल आबाद		५	८।		श्रीमान तहसीलदार महोदय सल्ट (कुमा) के कार्यालय पत्र सं० 765/मु०/2023-24 के क्रम मे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 1942/आर०ई०-22/ 2015-16, दिनांक 23 दिसम्बर 2015 के आदेशानुसार खेत नं० 331, रकबा 1.247 हे०, खेत नं०-345 - रकबा 1.133 हे०, खेत नं० 348 - रकबा 0.361 हे०, खेत नं०-358 रकबा 0.150 हे०, खेत नं० 78 मध्ये रकबा 0.049 हे० इस प्रकार कुल 2.940 हे० भूमि खारिज कर वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामांकन दर्ज किया। ह० अपठनीय रा० उ० नि० सिमार
			११	१-		
			↓	↓		
			७३	८॥-		
			७८	१०॥≡		
			८०	१॥=		
			↓	↓		
			३२४	५		
			३३१	७२=		
			३४५	५६॥		
			३४८	१८		
			३५८	७॥		
			३६१	३॥-		
			↓	↓		
			३५४८	५४॥=		
			३५७८	१६-		
			२३११	१		
			३४६२			
	कुल योग		२४२	३१६१॥≡		

महोदय,
उपरोक्त खतौनी असल से शब्द-ब-शब्द नकल तैयार की।

(हस्ताक्षर) 12/जनवरी/24
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र सिमार
तहसील सल्ट
जिला- अल्मोड़ा

सलग्नक-02

7	FP/UK/ROAD/8382/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8382/2014) Bhatkot Dhon Rithachora Motor Road	ROAD83822014900	6183820900	12 Oct 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 658339/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 658339/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Feb 2023 Transaction Date : 29 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/080220231836023601_FPUKROAD83822014_User_Fund_Demanded_47033.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD83822014900)
8	FP/UK/ROAD/8483/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8483/2014) Vinyak-Rikhar Kotiyag Motor Road	ROAD84832014447	6184830447	18 Oct 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 940167/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 940167/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Feb 2023 Transaction Date : 29 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/080220231838445308_FPUKROAD84832014_User_Fund_Demanded_30140.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD84832014447)
9	FP/UK/ROAD/8986/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8986/2014) Extension of Kunnigard Hiruli Bazar Motor Road Upto Rampur Chaukhutiya	ROAD89862014069	6189860069	09 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 604597/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 604597/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Feb 2023 Transaction Date : 29 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/080220231836483006_FPUKROAD89862014_User_Fund_Demanded_15936.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD89862014069)

प्रति संलग्न

::बचनबद्धता का प्रमाण पत्र::

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग से भट्कोट से ढ़ौन–रीठाचौरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

CDRKT:D/Ameen/EE Letter

संलग्नक-03

ग्राम- भटकोट

AGENCY CC.

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-02-2016

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	ROAD83822014931
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(In Rs)	2512570/-

Amount In Words :Twenty-Five Lakh Twelve Thousand Five Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD83822014931
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

SBI NR

52016031027053873

10/5/2016

प्रस्तावित जीना. हेस्पिटल (?) ...

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-02-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6183820900
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/70/2015-FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(In Rs)	658339/-

Amount In Words :Six Lakh Fifty-Eight Thousand Three Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896183820900 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through chall... even after 7 working days, then kindly mail a copy of yo... id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@u... ubin0903710@unionbankofindia.bank

Disha Mehani PF NO. 1002061

29 MAR 2023

SBIN/52308870 4650

(3)

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2520 / 12-02, अल्मोड़ा, दिनांक, 25 / 11 -2015

Diary No. 5185
File No. 186
Date 16/11/15

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत।

विषय- जनपद अल्मोड़ा में चौखुटिया-गांसी मोटर मार्ग से भटकोट से ढौन-रीठा चौरा तक के निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- आपकी पत्र सं0 2597 / 18सी / दिनांक 29.10.2015

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तो के कम में वन विभाग के पक्ष में जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान निम्नप्रकार करने का कष्ट करें।

शर्त संख्या 1- शर्त संख्या 1 के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि रू0 420420.00 (रू0 चार लाख बीस हजार चार सौ बीस मात्र)

शर्त संख्या 2- एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1242150.00 (बारह लाख बयालिस हजार एक सौ पचास मात्र)

शर्त संख्या 3- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर खाली स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि रू0 850000.00 (रू0 आठ लाख पचास हजार मात्र)

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक / तद्दिनांकित,

प्रतिलिपिः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संलग्नक 04

:: प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया-मासी मोटर मार्ग से भटकोट से जैन-पीपलचौरा तक मोटर मार्ग के निर्माण में सड़क के दोनों किनारों तथा सेन्चुरा वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करा दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत